

अध्याय–III : राज्य उत्पाद


3.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान बजट आकलन तथा राज्य उत्पाद से वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है :


वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ घस (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	(₹ करोड़ में) कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
						राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ
2005–06	335.00	318.59	(–) 16.41	4.90	3,561.10	8.95
2006–07	400.00	381.93	(–) 18.07	4.52	4,033.08	9.47
2007–08	500.00	525.42	25.42	5.08	5,085.53	10.33
2008–09	537.69	679.14	141.45	26.31	6,172.74	11.00
2009–10	850.00	1,081.68	231.68	27.26	8,089.67	13.37

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों की तुलना में राज्य उत्पाद से प्राप्तियों की प्रतिशतता में लगातार वृद्धि हुई।

राज्य उत्पाद की आकलित प्राप्ति तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न ग्राफ में दिया गया है:



पुनः वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 8,089.67 करोड़) में राज्य उत्पाद प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:



3.2 संग्रहण की लागत

राज्य उत्पाद प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2007–08 से 2009–10 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007–08	525.42	22.14	4.21	3.30
2008–09	679.14	24.15	3.56	3.27
2009–10	1,081.68	44.02	4.07	3.66

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक था।

सरकार को चाहिये कि संग्रहण की लागत को कम करने तथा अखिल भारतीय औसत से नीचे रखने हेतु उचित मापदण्डों को अपनाए।

3.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि के दौरान, हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व का आरोपण नहीं/कम किये जाने, अवनिर्धारण/हानि के 6,507 मामले, जिसमें ₹ 734.16 करोड़ के राजस्व शामिल थे, इंगित किए। इसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 90.07 करोड़ से सन्तुष्टि 394 मामलों के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं मात्र ₹ 57 लाख की वसूली की। इसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2004–05	29	182	43.99	06	8.38	03	0.34
2005–06	42	2,659	149.90	83	1.08	शून्य	शून्य
2006–07	30	3,404	167.09	258	48.15	-	0.15
2007–08	32	149	149.60	04	0.47	शून्य	शून्य
2008–09	32	113	223.58	43	31.99	11	0.08
कुल	165	6,507	734.16	394	90.07	14	0.57

स्वीकार किए गए ₹ 90.07 करोड़ से सन्निहित मामलों के विरुद्ध ₹ 57 लाख (0.63 प्रतिशत) की अल्प वसूली सरकार/विभाग द्वारा सरकारी बकायों की वसूली में तत्परता की कमी की ओर झंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि सन्निहित राशि, कम से कम स्वीकृत मामलों में, की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठायें।

3.4 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है।

वित्त (लेखापरीक्षा) की लेखापरीक्षा दल में तीन सदस्य होते हैं, जिसमें एक दल का प्रमुख होता है। लेखापरीक्षा हेतु अधियाचना की मात्रा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय / प्रमंडलीय कार्यालयों से लेखापरीक्षा दल हेतु कर्मियों को लिया जाता है। विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली कार्यालयों की संख्या, किये गए लेखापरीक्षा की संख्या, निर्णीत अवलोकनों की संख्या तथा मामलों में सन्निहित राशि से संबंधित सूचनाएँ हमें उपलब्ध नहीं कराया।

3.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य उत्पाद राजस्व से संबंधित 39 ईकाइयों के अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच से ₹ 451.60 करोड़ से सन्निहित 175 मामलों में कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)			
क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	राज्य उत्पाद राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण (एक समीक्षा)	1	105.68
2.	उत्पाद दुकानों की बंदोबर्ती नहीं/विलम्ब से होना	106	241.58
3.	अनुज्ञाप्ति फीस की वसूली नहीं होना	23	10.40
4.	न्यूनतम गारंटी मात्रा का नहीं/कम उठाव के कारण हानि	4	0.41
5.	अन्य मामले	41	93.53
कुल			175
			451.60

वर्ष के दौरान विभाग ने 152 मामलों में ₹ 305.42 करोड़ के अवनिधिरण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 300.21 करोड़ से सन्तुष्टि 140 मामले वर्ष 2009–10 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इगित किए गए थे।

₹ 105.68 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से संबंधित ‘राज्य उत्पाद राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण’ पर समीक्षा के लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित किया गया है:

3.6 राज्य उत्पाद राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण

मुख्य अंश

विलम्ब से बंदोबस्तु/अबंदोबस्तु उत्पाद दुकानों का संचालन विभाग/ बिहार राज्य विवरेज निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किये जाने के कारण अनुज्ञाप्ति शुल्क के रूप में सरकार को ₹ 134.29 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.6.9.1 एवं 3.6.9.2)

न्यूनतम गारंटी मात्रा के विरुद्ध उत्पाद दुकानों द्वारा शराब के मासिक उठाव की समीक्षा के लिए तंत्र के अभाव के कारण अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा शराब के कम उठाव का पता नहीं चला, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 94.61 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.6.10)

बकाये की वसूली हेतु नीलामवाद विलम्ब से दायर किये जाने के कारण ब्याज के रूप में ₹ 3.14 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.6.12.2)

आंतरिक नियंत्रण कमजोर था, जैसा कि अत्य विभागीय निरीक्षण, महत्वपूर्ण पंजियों के संधारण का अभाव तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की कमी से सावित होता है।

(कंडिका 3.6.13)

3.6.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान की सातवी अनुसूची के सूची-II की आठवीं प्रविष्टि, राज्य सरकार को उत्पाद राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण की शक्ति प्रदत्त करती है। बिहार में पेय शराब का उत्पादन मुख्यतः मोलासेस से की जाती है, जो गन्ना से चीनी बनाने वाली चीनी कारखानों का उपफल (बाइ-प्रोडक्ट) है। बिहार मोलासेस (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा इसके तहत बने नियम, राज्य में कारखानों द्वारा मोलासेस के उत्पादन की कीमत एवं भंडारण, आपूर्ति एवं वितरण का नियंत्रण प्रावधित करता है, जबकि उत्पाद राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण, बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा इसके तहत बने नियमों द्वारा शासित होता है।

राज्य उत्पाद राजस्व, कर राजस्व के महत्वपूर्ण श्रोतों में से एक है, जो राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान सृजित कुल राजस्व प्राप्तियों का 11.08 प्रतिशत था। इसके अन्तर्गत कोई भी शुल्क, फीस, कर, भुगतान (दंड न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना के अलावा) या बिहार उत्पाद अधिनियम या तत्कालीन प्रभाव से अन्य नियम के अन्तर्गत शराब या मादक दवाओं से संबंधित आरोपित या आदेशित अथवा जब्त की गई प्राप्त/प्राप्त राजस्व राशि शामिल है।

3.6.2 संगठनात्मक ढाँचा

उत्पाद राजस्व का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण सरकार स्तर पर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सर्वोच्च स्तर पर आयुक्त उत्पाद द्वारा शासित होता है। बिहार मोलासेस नियंत्रण अधिनियम तथा नियमों के शासन एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त पदेन मोलासेस नियंत्रक भी हैं। मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, एक उपायुक्त उत्पाद तथा एक सहायक आयुक्त उत्पाद, आयुक्त के कार्य सम्पादन में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, चार¹ प्रमंडलीय मुख्यालयों में से प्रत्येक में एक उपायुक्त उत्पाद होते हैं।

¹ भागलपुर—सह—मुंगेर, दरभंगा—सह—कोशी—सह—पूर्णिया, पटना—सह—मगध तथा तिरहुत—सह—सारण।

जिला स्तर पर उत्पाद प्रशासन के प्रभारी जिला समाहर्ता होते हैं, जिनकी सहायता एक सहायक आयुक्त उत्पाद या अधीक्षक उत्पाद करते हैं।

राज्य में उत्पाद दुकानों के खुदरा बिक्रेताओं को सभी प्रकार के शराब की आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा शासित बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था, जो एकमात्र थोक बिक्री डिपो के रूप में काम करता है।

3.6.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

हमने समीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की, कि क्या:

- बिहार उत्पाद अधिनियम तथा इसके तहत बने नियमों के प्रावधान तथा विभागीय अनुदेश सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त थे तथा प्रभावकारी रूप में कार्यान्वित किये जा रहे थे;
- उत्पाद राजस्व का उचित ढंग से निर्धारण, समय पर संग्रहण तथा वसूली के बाद तत्परता के साथ सरकारी खाते के उपयुक्त शीर्ष में जमा किये गए थे; तथा
- विभाग में कार्य के स्वरूप एवं विस्तार के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी तथा प्रभावशाली ढंग से काम कर रही थी।

3.6.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

समीक्षा के उद्देश्य से हमने नवम्बर 2009 से मई 2010 के बीच आयुक्त उत्पाद-सह-मोलारेस नियंत्रक, 38 जिला उत्पाद कार्यालयों में से 13² तथा तीन आसवनगृहों में से एक³ से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच की।

ग्यारह जिला उत्पाद कार्यालयों का चयन प्रतिस्थापन सहित समग्र अनुपात प्रतिचयन विधि एवं प्रतिस्थापन सहित सरल रैन्डम प्रतिचयन विधि के माध्यम से सांख्यिकी प्रतिचयन पर आधारित था। दो⁴ जिला उत्पाद कार्यालयों का चयन, अधिक अबंदोबस्त दुकानों के आधार पर तथा एक आसवनगृह का चयन अधिकतम राजस्व संग्रहण के आधार पर किया गया था।

3.6.5 लेखापरीक्षा के मानदंड

हमने समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित अधिनियम तथा नियमों को संदर्भित किया:

1. बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915
2. बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञाप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, 2004
3. बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, वीयर एवं कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञाप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, 2007
4. बिहार वित्तीय नियमावली, भाग-1
5. बिहार कोषागार संहिता, भाग-1
6. बिहार बजट मैनुअल
7. बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914

² औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, सारण, सीवान तथा पश्चिमी चम्पारण।

³ यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, हाथीदह।

⁴ गोपालगंज एवं सीवान।

3.6.6 स्वीकृति

लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सहयोग को हम स्वीकार करते हैं। समीक्षा का उद्देश्य, लेखापरीक्षा के मानदण्ड तथा विभाग के महत्वपूर्ण मामलों, यदि कोई हो, को प्रकाश में लाने हेतु फरवरी 2010 में एक आरभिक सम्मेलन (इन्ट्री कॉन्फरेन्स) आयोजित की गई थी, जिसमें सरकार के सचिव, उत्पाद आयुक्त तथा बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने भाग लिया। समीक्षा के परिणामों को जून 2010 में सरकार को उनकी प्रतिक्रिया हेतु अग्रसारित किया गया था। सितम्बर 2010 में सरकार के सचिव के साथ एक अंतिम सम्मेलन (एकिट कॉन्फ्रेन्स) आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों तथा अनुशंसाओं पर विचार—विमर्श किया गया था। बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने भी अंतिम सम्मेलन में भाग लिया। सरकार के उत्तर को सम्बंधित कंडिकाओं में अनुकूलतः सम्मिलित कर लिया गया है।

3.6.7 राजस्व की प्रवृत्ति

3.6.7.1 बजट प्राक्कलन बनाना

बिहार बजट प्रक्रिया में प्रावधान है कि राजस्व एवं प्राप्तियों के अनुमानों में वर्ष के अंदर वसूली जाने वाली अनुमानित राशि दर्शाया जाना चाहिए। बकाया एवं चालू मांग को अलग—अलग दिखलाया जाना चाहिए तथा यदि पूर्ण वसूली न हो सकने की सम्भावना हो तो उसका कारण दिया जाना चाहिए तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुमानों पर आधारित होना चाहिए।

बिहार बजट प्रक्रिया में प्रावधान है कि प्राक्कलन की परिशुद्धता आकलन के निम्नतम स्तर से प्रारम्भ होनी चाहिए। सभी प्राक्कलन पदाधिकारियों को बजट में सभी संभावनाओं को आवश्यकतानुसार शामिल करने का प्रयत्न करना चाहिए।

राजस्व के लक्ष्य का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह निष्पादन के निर्धारण तथा अनुश्रवण के लिए एक मान्य मानदण्ड बन सके।

वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक की विभाग द्वारा प्रस्तावित आकलन, बजट अनुमान तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के साथ—साथ वित्त लेखे में दर्शाये गए राजस्व प्राप्तियों की तुलनात्मक स्थिति निम्न सारणी में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विभाग द्वारा प्रस्तावित आकलन	बजट अनुमान	वित्त विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	अनुसार राजस्व संग्रहण	बजट अनुमान एवं राजस्व प्राप्तियों में भिन्नता (3–5)	बजट अनुमान एवं राजस्व प्राप्तियों में भिन्नता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	330.00	290.00	330.00	272.47	(-) 17.53	6.04
2005-06	335.00	335.00	335.00	318.59	(-) 16.41	4.90
2006-07	400.00	400.00	400.00	381.93	(-) 18.07	4.52
2007-08	480.00	500.00	700.00	525.42	25.42	5.08
2008-09	700.00	537.69	750.00	679.14	141.45	26.31

- हमने पाया कि विभाग द्वारा क्षेत्र कार्यालयों से वांछित आँकड़े प्राप्त किए बिना ही आकलन प्रस्तावित किया गया था।

सरकार ने उत्तर दिया गया कि प्रत्येक वर्ष फरवरी एवं मार्च में बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड के परामर्श से विभाग तथा जिला उत्पाद अधिकारियों द्वारा बजट आकलन तैयार करने के लिए विस्तृत प्रयास किया जाता है। उत्तर सही नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष के नवम्बर एवं दिसम्बर माह में बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को समर्पित किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि बजट प्रस्ताव का आकलन बिना क्षेत्रीय आँकड़ों के किए गए थे।

पुनः हमने पाया कि उपर्युक्त तालिका में दर्शायी गई सम्पूर्ण बजट प्रक्रिया को उत्पाद राजस्व बकायों को शामिल किये बिना पूरा किया गया, जो बिहार बजट प्रक्रिया का उल्लंघन है। सरकार ने राजस्व बकाया को बजट आकलन में शामिल करने हेतु जिला पदाधिकारियों को अनुदेश जारी किया (अक्टूबर 2010)।

- वर्ष 2007–08 में बजट अनुमान ₹ 500 करोड़ के विरुद्ध वित्त विभाग द्वारा ₹ 700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा वित्त लेखे के अनुसार राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 525.42 करोड़ थीं। वर्ष 2008–09 में विभाग द्वारा प्रस्तावित आकलन ₹ 700 करोड़ था, जबकि वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान ₹ 537.69 करोड़ तथा राजस्व संग्रहण का लक्ष्य ₹ 750 करोड़ निर्धारित किया गया। इसके विरुद्ध वास्तविक राजस्व संग्रहण, जैसा कि वित्त लेखे में दर्शाया गया है, ₹ 679.14 करोड़ था। उपर्युक्त आँकड़े यह प्रकारित करता है कि वित्त विभाग द्वारा अवास्तविक बजट आकलन तथा लक्ष्य निर्धारण किया गया। इसे इंगित किये जाने के बाद वित्त विभाग द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2010) कि पिछले वर्षों के वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर बजट अनुमान तैयार किया गया था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि वर्ष 2008–09 का बजट अनुमान तैयार करते समय विभाग द्वारा प्रस्तावित आकलन पर विचार किया जाना अपेक्षित था।

3.6.7.2 उपलब्धि को बढ़ाकर दर्शाया जाना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 284 यह प्रावधित करता है कि सभी राशि (सरकारी राजस्व के अलावे) राज्य के लोक लेखे में जमा किए जाएँगे। पुनः अनुच्छेद 266 यह निर्देशित करता है कि राज्य के संचित निधि से बिना विधायी अनुमोदन के किसी राशि का विनियोजन नहीं किया जायेगा।

हमने नमूना जाँचित 13 उत्पाद जिलों में पाया कि वर्ष 2004–05 से 2008–09 से सम्बंधित ₹ 55.27 करोड़ की जमानत राशि शीर्ष '8443–सिविल डिपोजिट' के बदले राजस्व प्राप्ति शीर्ष

"0039—राज्य उत्पाद" के अन्तर्गत जमा की गई थी।

मामले को 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 3.7 द्वारा सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा के अवलोकन का अनुलापन करने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव—सह—आयुक्त को अनुदेश निर्गत (मई 2008) किया। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने वित्त विभाग के अनुदेश को सभी जिला उत्पाद कार्यालयों को परिचालित (मई 2008) कर दिया। हालाँकि, हमने पाया कि नमूना जाँचित जिलों के सहायक आयुक्त उत्पाद/उत्पाद अधीक्षकों द्वारा इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया गया था।

जमानत राशि को राजस्व प्राप्तियाँ शीर्ष के अन्तर्गत जमा किये जाने के फलस्वरूप राजस्व संग्रहण आँकड़ों की उपलब्धि को बढ़ाकर दिखलाया गया। पुनः जमानत राशि

को व्यय शीर्ष “2039—राज्य उत्पाद” से बिना आवंटन प्राप्त किये अनुज्ञितिधारियों को वापस किया गया, जिससे बजट नियंत्रण प्रणाली का उल्लंघन हुआ।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2010) की व्यय शीर्ष से बिना आवंटन के जमानत राशि की अनियमित वापसी वित्त विभाग के परामर्श पर की गई थी। हम जवाब से सहमत नहीं हैं, क्योंकि जमानत राशि की वापसी बजट आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् ही की जानी चाहिए थी।

3.6.7.3 राजस्व ऑकड़ों का मिलान

बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्री पदाधिकारी द्वारा राजस्व के विभागीय ऑकड़ों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के अभिलेखों में दर्ज ऑकड़ों के साथ समय पर मिलान को सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि में विभाग द्वारा प्रतिवेदित राजस्व संग्रहण की राशि तथा वित्त लेखे में दर्शायी गई राशि नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व संग्रहण		
	वित्त लेखे के अनुसार	विभाग के अनुसार	विभागीय ऑकड़ों एवं वित्त लेखे के बीच भिन्नता (3–2)
1	2	3	4
2004–05	272.47	272.53	0.06
2005–06	318.59	319.70	1.11
2006–07	381.93	383.87	1.94
2007–08	525.42	535.56	10.14
2008–09	679.14	749.15	70.01

इस प्रकार, विभाग द्वारा हमें उपलब्ध कराये गये एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के अभिलेखों में दर्ज कुल प्राप्तियों में वर्ष 2004–09 की अवधि में ₹ 83.26 करोड़ का अंतर था। यह संसूचित करता है कि विद्यमान नियमों के तहत ऑकड़ों का समय पर मिलान नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2010) कि सभी जिलों से एक प्रतिवेदन की माँग की गई है और वर्ष 2008–09 के दौरान वित्त लेखे तथा विभागीय राजस्व ऑकड़ों में ₹ 70.01 करोड़ की विसंगति बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड द्वारा जमा की गई विशेषाधिकार शुल्क के कारण प्रतीत होती है। हालाँकि, जवाब ₹ 13.25 करोड़ के अंतर का कारण स्पष्ट नहीं करता है।

हमने नमूना जाँचित ⁵ उत्पाद जिलों में पाया कि वर्ष 2004–05 से 2008–09 के दौरान राजस्व विवरणी के माध्यम से ₹ 1,214.15 करोड़ राजस्व की राशि प्रतिवेदित की गई थी, जबकि कोषागार अभिलेखों में ₹ 1,263.86 करोड़ दर्शायी गई थी। इस प्रकार,

⁵ औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, सारण एवं सीवान।

₹ 49.71 करोड़ राशि का मिलान नहीं किया गया था। यह विसंगति त्रुटिपूर्ण लेखांकन एवं प्रतिवेदन तंत्र की ओर इंगित करता है।

सीवान जिला के माह जुलाई 2008 एवं मार्च 2009 के राजस्व विवरणी तथा कोषागार अभिलेखों के राजस्व आँकड़ों में अंतर का कारण पता लगाने के लिए हमने एक रखतंत्र प्रयास किया। हमने पाया कि कोषागार अभिलेख तैयार करने के पहले ही जिला उत्पाद कार्यालय में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर राजस्व विवरणी तैयार की गई थी। राजस्व विवरणी में उल्लिखित उत्पाद शुल्क की राशि की गणना जिले में शराब की खपत के आधार पर की गई थी यद्यपि इससे सम्बन्धित उत्पाद शुल्क का भुगतान अन्य जिलों में किया गया था, जबकि जिला कोषागार अभिलेख में सिर्फ सम्बन्धित जिले में चालान द्वारा जमा राशि दर्शायी गई थी। पुनः, अंतशेष के रूप में उत्पाद राजस्व की राशि को राजस्व विवरणी के राजस्व आँकड़ों में शामिल किया गया था, जबकि इसे उसी माह में जमा नहीं किए जाने के कारण कोषागार अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। हमने पाया कि इस अन्तर का मिलान जिला उत्पाद कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था।

सरकार को बजट अनुमान तैयार करने में बजट मैनुअल के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, साथ ही साथ जमानत राशि को लेखे के उचित शीर्ष में जमा करने तथा संगत शीर्ष से और न कि व्यय शीर्ष से इसकी वापसी में सही प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए। सरकार विभागीय राजस्व आँकड़ों को वित्त लेखे के आँकड़ों से समय पर मिलान को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठा सकती है।

लेखापरीक्षा परिणाम

बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञाप्तियों की बंदोबरती) नियमावली, 2004 (बिहार उत्पाद नियमावली, 2004) को जुलाई 2007 में बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, वीयर एवं कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बिक्री हेतु अनुज्ञाप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, 2007 (बिहार उत्पाद नियमावली, 2007) से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अतः हमारी लेखापरीक्षा अवलोकन समीक्षा अवधि में वर्तमान प्रभावी संगत नियमों पर आधारित है।

“राज्य उत्पाद राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण” की हमारी समीक्षा में हमलोगों को अनेक त्रुटियों का पता चला, जिनकी चर्चा निम्न कांडिकाओं में की गई है।

उत्पाद राजस्व का आरोपण

3.6.8 उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती

जून 2007 तक खुदरा उत्पाद दूकानों हेतु अनुज्ञाप्तियों की वार्षिक बंदोबरती सार्वजनिक नीलामी के आधार पर की जाती थी। जुलाई 2007 के प्रभाव से खुदरा उत्पाद दूकानों के अनुज्ञाप्तियों की बंदोबस्ती लॉटरी प्रणाली के माध्यम से की जानी थी।

वर्ष 2004–05 से 2008–09 के दौरान राज्य में उत्पाद दूकानों की स्वीकृत संख्या तथा उनके बंदोबरती की स्थिति निम्नवत थी:

वर्ष	स्वीकृत दूकानों की संख्या	बंदोबस्त दूकानों की संख्या	अबंदोबस्त दूकानों की संख्या	अबंदोबस्त दूकानों की प्रतिशतता
2004–05	3,436	3,075	361	10.5
2005–06	3,439	2,922	517	15
2006–07	3,436	3,235	201	5.8
2007–08	6,184	3,448	2,736	44.2
2008–09	5,718	3,988	1,730	30.25

(स्रोत: निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के वर्ष 2009–10 का प्रशासनिक प्रतिवेदन)

हमलोगों ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

- बिहार उत्पाद नियमावली, 2007 के लागू होने के बाद अबंदोबस्त दूकानों की प्रतिशतता वर्ष 2006–07 के 58 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007–08 में 44.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2008–09 में 30.25 प्रतिशत हो गई। उपर्युक्त तालिका से यह भी देखा गया कि वर्ष 2006–07 की तुलना में वर्ष 2007–08 में स्वीकृत उत्पाद दूकानों की संख्या में 2,748 की बढ़ोत्तरी हुई, जबकि बंदोबस्त उत्पाद दूकानों की संख्या में मात्र 213 की बढ़ोत्तरी हुई, इसके फलस्वरूप 2,736 दूकानों अबंदोबस्त रह गई।

सरकार ने इसका वजह पुराने एकाधिकार प्राप्त उत्पादक संघों द्वारा बोली लगाने वालों के बीच नई उत्पाद नीति के जारी नहीं रहने के विषय में फैलाई गई अफवाह बताया (अक्टूबर 2010), जिसके फलस्वरूप निराशाजनक बंदोबस्ती हुई। हालाँकि, अंबंदोबस्त दूकानों की प्रतिशतता कम होकर वर्ष 2009–10 में 19 प्रतिशत तथा वर्ष 2010–11 में लगभग पाँच प्रतिशत हो गई।

- शराब के अवैध व्यापार को रोकने तथा राज्य उत्पाद राजस्व की अनुकूलतम वसूली के लिए अधिकतम उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती आवश्यक है। विभाग ने अधिकतम दुकानों की बन्दोबस्ती के लिए उत्पाद दूकानों को समूह में बंदोबस्ती करने हेतु क्षेत्र कार्यालयों को निदेशित (फरवरी 2008) किया। समूह बनाते समय अधिक लाभकर दूकान को कम लाभकर दूकान के साथ सम्मिलित करना था।

हमने तीन⁶ जिला उत्पाद कार्यालयों में पाया कि वर्ष 2008–09 के दौरान 266 समूहों में से 47 समूह वर्ष 2007–08 के अंबंदोबस्त दूकानों को मिलाकर बनाया गया था। इन समूहों को बनाने में अधिक लाभकर दूकानों के साथ कम लाभकर दूकानों को न मिलाकर केवल कम लाभकर दूकानों को मिलाया गया था, इस प्रकार समूह में दूकानों की बंदोबस्ती तथा राजस्व को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने की सम्भावना को विफल कर दिया गया। परिणामस्वरूप, ऐसे समूह वर्ष 2008–09 में अबंदोबस्त रहे। अभिलेखों में यह नहीं पाया गया कि किन परिस्थितियों में ऐसे समूहों का निर्माण किया गया था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2010) कि समूह बनाना एक जटिल प्रक्रिया है और कभी कभी अधिक लाभकर एवं कम लाभकर दूकानों का समूह बनाने से प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे अधिक लाभकर दूकानों की बंदोबस्ती में बाधा उत्पन्न होती है। हमलोग जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि समूहों का निर्माण फरवरी 2008 के विभागीय अनुदेश के आलोक में किया जाना चाहिए था।

⁶ भागलपुर, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण।

प्राधिकृत दूकानों के माध्यम से शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा शराब के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार अधिकतम उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती हेतु प्रभावकारी उपाय कर सकती है।

3.6.9 उत्पाद दूकानों का संचालन

3.6.9.1 बिहार उत्पाद नियमावली, 2004 में अबंदोबस्त दूकानों के संचालन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अप्रैल 2005 में निर्गत विभागीय अनुदेश के अनुसार यदि उत्पाद दूकानें अबंदोबस्त रहती हैं तब ⁷ जिलों के संबंधित क्षेत्रों में देशी शराब तथा मशालेदार देशी शराब की आपूर्ति का संचालन विभाग को अपने प्रबंधन के माध्यम से सुनिश्चित करना था, ताकि शराब के उपभोक्ता अवैध शराब आपूर्तिकर्ता के चंगुल में न पड़ें। शेष जिलों तथा अबंदोस्त भारत निर्मित विदेशी शराब दूकानों के लिए सभी जिलों में कोई अनुदेश निर्गत नहीं किया गया था।

- चार⁸ उत्पाद जिलों में हमने पाया कि नीलामी पर रखे गये 49 देशी शराब, 26 मसालेदार देशी शराब तथा नौ भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें, इच्छुक डाककर्ताओं के अभाव में वर्ष 2004–05 से 2007–08 (अप्रैल से जून 2007) के दौरान अबंदोबस्त पड़े थे।
- पुनः हमने देखा कि 10⁹ उत्पाद जिलों में 305 देशी, 210 मसालेदार देशी तथा 138 भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों की बंदोवस्ती चार से 326 दिनों के विलम्ब से हुई थी।

चार¹⁰ जिलों को छोड़कर इन सभी देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब की दुकानों को अबंदोबस्ती अवधि में विभागीय तौर पर भी संचालित नहीं किया गया था। इस प्रकार दुकानों के अबंदोबस्त रहने/विलम्ब से बंदोबस्त होने के कारण सरकार को ₹ 11.33 करोड़ (अबंदोबस्ती के कारण: ₹ 1.52 करोड़ तथा विलम्ब से बंदोबस्ती के कारण ₹ 10.72 करोड़, विभागीय संचालन द्वारा चार जिलों में संग्रहित ₹ 90.72 लाख के राजस्व के समायोजन के पश्चात्) के राजस्व की हानि हुई, जिसकी गणना अबंदोबस्त दुकानों के आरक्षित शुल्क के आधार पर की गई।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2010) कि विभाग द्वारा अबंदोबस्त दुकानों के संचालन का कोई सांविधिक प्रावधान नहीं था। तथ्य यह है कि विभाग द्वारा अपने अप्रैल 2005 के अनुदेश के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं की गई।

3.6.9.2 जून 2007 की अधिसूचना द्वारा निर्गत बिहार उत्पाद नियमावली, 2007 के अनुसार यदि किसी खुदरा दुकान की बंदोबस्ती लॉटरी के माध्यम से नहीं होती है तब उत्पाद आयुक्त की स्वीकृति से बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड उन दुकानों को स्थापित एवं संचालित करेगा।

- हमने 13 चयनित उत्पाद जिलों में पाया कि 310 देशी शराब, 257 भारत निर्मित विदेशी शराब तथा 495 कम्पोजिट शराब की दुकानें वर्ष 2007–08 (जुलाई 2007 से मार्च 2008) तथा वर्ष 2008–09 के दौरान इच्छुक अभ्यर्थियों के अभाव में अबंदोबस्त रह गयी।

⁷ अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सारण, एवं पश्चिमी चम्पारण।

⁸ औरंगाबाद, दरभंगा, सारण, तथा पश्चिमी चम्पारण।

⁹ भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्णी चम्पारण, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, सीवान तथा पश्चिमी चम्पारण।

¹⁰ औरंगाबाद, भोजपुर, गया तथा पश्चिमी चम्पारण।

- पुनः वर्ष 2007–08 (जुलाई 2007 से मार्च 2008) तथा वर्ष 2008–09 के दौरान हमने पाया कि 116 देशी शराब, 83 भारत निर्मित विदेशी शराब तथा 145 कम्पोजिट शराब दुकानों की बंदोबस्ती चार से 309 दिनों के विलम्ब के उपरान्त हुआ था।

उत्पाद दुकानों, जिनकी बंदोबस्ती नहीं हो सकी या विलम्ब से हुई, उनका संचालन बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड के माध्यम से की जानी चाहिए थी। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड ने इन दुकानों के संचालन में अपनी असमर्थता (दिसम्बर 2007) व्यक्त की। इस प्रकार, सरकार ₹ 122.96 करोड़ के राजस्व (अबंदोबस्ती के कारण ₹ 113.32 करोड़ तथा विलम्ब से बंदोबस्ती के कारण ₹ 9.64 करोड़) से वंचित रही, जिसकी गणना अबंदोबस्त दुकानों के अनुज्ञाप्ति शुल्क के आधार पर की गई।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2010) कि बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड ने अबंदोबस्त दुकानों के संचालन में अपनी असमर्थता (दिसम्बर 2007) व्यक्त की। हालाँकि तथ्य यह है कि बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड द्वारा अबंदोबस्त दुकानों के संचालन से इंकार किए जाने के उपरांत सरकार ने वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में ऐसे दुकानों के संचालन के लिए वैकल्पिक तंत्र का विकास नहीं किया। परिणामस्वरूप, जुलाई 2007 में निर्गत अधिसूचना अप्रभावकारी रही।

बिहार उत्पाद नियमावली तथा बिक्री अधिसूचना के शर्त 6(क) के अनुसार उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष (पहली अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक) के लिए की जाती है। पुनः, बिहार उत्पाद नियमावली प्रावधित करता है कि नियमों के प्रावधानों या अनुज्ञाप्ति के किसी भी शर्त या बिक्री अधिसूचना के किसी भी शर्त या अनुज्ञाप्ति के लिए लागू साधारण शर्तों का अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर, जिससे राज्य के राजस्व की हानि हो, सन्निहित राजस्व की कुल राशि के अतिरिक्त समतुल्य राशि अर्थदण्ड के रूप में बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत आरोपित किया जाएगा।

3.6.9.3 हमने छः¹¹ जिलों में पाया कि उत्पाद वर्ष 2006–07, 2007–08 (जुलाई 2007 से मार्च 2008) तथा 2008–09 के दौरान बंदोबस्त 42 देशी शराब, 30 मसालेदार देशी शराब, 28 भारत निर्मित विदेशी शराब तथा 22 कम्पोजिट शराब दुकानों की अनुज्ञाप्तियों को अनुज्ञाप्ति शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने के कारण अगस्त 2006 एवं फरवरी 2009 के बीच निरस्त कर दिया गया था। इन दुकानों को

निरस्तीकरण के बाद न तो पुनर्बद्धोबस्त की गई और न ही विभाग/बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की गई, जिसके फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड ₹ 4.53 करोड़ सहित ₹ 10.72 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। जिला उत्पाद पदाधिकारियों ने सरकार को हुए राजस्व की हानि की वसूली के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषी अनुज्ञाप्तिधारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी।

सरकार ने निदेशित किया (अक्टूबर 2010) कि सभी चूक के मामलों में वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जाये।

¹¹ भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, पटना, सारण तथा सीवान।

अवैध शराब की आपूर्ति के जोखिम को कम करने तथा राजस्व की प्राप्ति को बनाये रखने के लिए सरकार अबंदोबस्त खुदरा शराब दुकानों के संचालन की प्रक्रिया विकसित कर सकती है।

3.6.10 खुदरा अनुज्ञितधारियों द्वारा शराब का उठाव

बिहार उत्पाद नियमावली, 2004 तथा बिहार उत्पाद नियमावली, 2007 के प्रावधानों के साथ—साथ बिक्री अधिसूचना के शर्तों के अनुसार शराब की वार्षिक न्यूनतम गारंटी मात्रा को सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष हेतु 12 बराबर किश्तों में विभाजित किया जाएगा तथा अनुज्ञितधारी को प्रत्येक माह के दौरान एक अंश का उठाव करना है। पुनः बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम (जनवरी 2007 से प्रभावी) प्रावधित करता है कि अनुज्ञित के किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, जिससे सरकार के राजस्व की हानि हो, सन्निहित राजस्व की कुल राशि के अतिरिक्त समतुल्य राशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपित किया जायगा।

एक जिला के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित न्यूनतम गारंटी मात्रा को अनुज्ञित प्राधिकारी द्वारा उस जिले के उत्पाद दुकानों के बीच वितरित किया जाता है। प्रत्येक उत्पाद दुकान का अनुज्ञित शुल्क, उस दुकान के वार्षिक न्यूनतम गारंटी मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

सरकारी संकल्प (जून 2007) प्रावधित करता है कि न्यूनतम गारंटी मात्रा

का सही निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाये। हालाँकि, न्यूनतम गारंटी मात्रा के निर्धारण के लिए विभाग द्वारा कोई विस्तृत दिशा निर्देश, जैसाकि संकल्प में निहित है, निर्गत नहीं किया गया था। यद्यपि जिला उत्पाद कार्यालयों द्वारा न्यूनतम गारंटी मात्रा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसके निर्धारण का आधार जिला उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों में नहीं पाया गया था।

3.6.10.1 देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब

बिहार उत्पाद नियमावली, 2004 के प्रावधानों के तहत राजस्व पर्षद द्वारा नवम्बर 2004 में निर्गत (जनवरी 2005 से प्रभावी) अधिसूचना के अनुसार खुदरा बिक्री हेतु देशी शराब तथा मसालेदार देशी शराब पर निर्गमन फीस की दर निर्धारित न्यूनतम गारंटी मात्रा तक ₹ 2.50 प्रति लंदन प्रूफ लिटर (एल० पी० एल०) निर्धारित की गई थी।

हमने 11¹² जिलों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया कि वर्ष 2005–06 से 2007–08 (अप्रैल से जून 2007) की अवधि में उत्पाद दुकानों के खुदरा अनुज्ञितधारियों ने देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब की आवंटित न्यूनतम

गारंटी मात्रा का उठाव नहीं किया, जिसके फलस्वरूप अप्रैल 2007 से जून 2007 तक की अवधि के लिए आरोप्य अर्थदण्ड ₹ 17.37 लाख सहित ₹ 2.93 करोड़ के राजस्व की हानि हुई, जिसका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

¹² औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, सीवान एवं पश्चिमी चम्पारण।

अवधि	वार्षिक मात्रा (एल०पी०एल०)		वार्षिक उठाव (एल०पी०एल०)		कम उठाव (एल०पी०एल०)		राजस्व की हानि (राशि ₹ में)
	देशी शराब	मसालेदार देशी शराब	देशी शराब	मसालेदार देशी शराब	देशी शराब	मसाला देशी शराब	
2005–06	1,35,34,258	30,79,600	89,03,468.98	10,38,216.22	46,30,789.02	20,41,383.78	1,66,80,432
2006–07	90,32,663	19,48,894	64,32,587.18	8,74,400.76	26,00,075.82	10,74,493.24	91,86,423
2007–08 (अप्रैल से जून 2007)	16,79,577	5,09,669.22	13,44,384.26	1,50,102.98	3,35,192.74	3,59,566.24	17,36,897
कुल	2,42,46,498	55,38,163.22	1,66,80,440.42	20,62,719.96	75,66,057.58	34,75,443.26	2,76,03,752

3.6.10.2 भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर

हमने 11¹³ उत्पाद जिलों में पाया कि उत्पाद दुकानों के खुदरा अनुज्ञाप्तिधारियों ने भारत निर्मित विदेशी शराब के 125.11 लाख एल०पी०एल० एवं बीयर के 135.26 लाख बल्क लीटर (बी० एल०) के निर्धारित न्यूनतम गारंटी मात्रा के विरुद्ध भारत निर्मित विदेशी शराब का 70.06 लाख एल० पी० एल० एवं बीयर का 49.25 लाख बी० एल० का ही उठाव किया था। इस प्रकार, अनुज्ञाप्तिधारियों ने संबंधित दुकानों हेतु निर्धारित न्यूनतम गारंटी मात्रा के आधार पर संगणित भारत निर्मित विदेशी शराब का 55.05 लाख एल० पी० एल० तथा बीयर का 86.01 लाख बी० एल० का उठाव नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड ₹ 23.43 करोड़ सहित तीन अधीक्षकों¹⁴ द्वारा जब्त जमानत राशि ₹ 1.12 करोड़ के समायोजन के उपरांत ₹ 91.68 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमने यह पाया कि यद्यपि बिहार उत्पाद नियमावली में न्यूनतम गारंटी मात्रा के उठाव का प्रावधान किया गया था, लेकिन उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा शराब के उठाव की आवधिक समीक्षा के लिए तंत्र, जिला उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले रिपोर्ट/रिटर्न तथा उच्च अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग/सरकार को शराब के न्यूनतम गारंटी मात्रा के कम उठाव से होनेवाले राजस्व की क्षति का समय पर पता नहीं चल सका।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2010) कि बिहार उत्पाद नियमावली, 2007 के लागू होने के बाद राज्य के न्यूनतम गारंटी मात्रा का लगभग पूर्ण उठाव हो रहा था तथा प्रत्येक वर्ष रिथति में सुधार हो रहा था। सरकार ने आगे कहा कि सभी जिला उत्पाद कार्यालयों से प्रतिवेदन की माँग की गई है और यदि आवश्यक हुआ तो राजस्व की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

सरकार, न्यूनतम गारंटी मात्रा के विरुद्ध प्रत्येक दूकान से शराब के उठाव की नियमित जानकारी प्राप्त करने हेतु तथा कम उठाव के मामले में नियम के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए, उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित कर सकती है।

¹³ औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, सीवान एवं पश्चिमी चम्पारण।

¹⁴ भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सीवान।

3.6.11 अनुज्ञाप्ति शुल्क

बिहार वित्तीय नियमावली के अंतर्गत, नियंत्री पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि सरकारी बकायों का सही एवं वास्तविक निर्धारण, वसूली एवं कोषागार में जमा किये जाने को सुनिश्चित करे।

बिहार उत्पाद नियमावली, 2007 एवं बिक्री अधिसूचना के शर्ते प्रावधित करता है कि अनुज्ञाप्ति प्राधिकारी द्वारा बंदोबस्ती स्वीकार किए जाने के उपरांत, अनुज्ञाप्तिधारी वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाप्ति शुल्क के रूप में भुगतान करेगा, जिसका समायोजन उत्पाद वर्ष के अंतिम माह में किया जाएगा।

अनुज्ञाप्ति में उल्लिखित तथा सरकार द्वारा निर्धारित अनुज्ञाप्ति शुल्क की मासिक किश्त अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा माह के पहली तिथि को जिले के सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी, जो किसी भी रिथ्रिटि में माह के 20 तारीख तक, यदि उस तिथि को अवकाश है तब अगले कार्य दिवस को, अवश्य जमा किया जाना चाहिए। इसमें विफल रहने पर अनुज्ञाप्ति निरस्त कर दी जाएगी एवं सभी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा दुकान को अगले डाककर्ता के साथ बंदोबस्त की जाएगी।

नहीं की गई। सहायक आयुक्त उत्पाद के कर्तव्य में लापरवाही के कारण सरकार उत्पाद राजस्व से वंचित रह गई।

सरकार ने आश्वासन दिया (अक्टूबर 2010) कि मामले की जाँचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.6.11.2 बिहार उत्पाद अधिनियम प्रावधित करता है कि अनुज्ञाप्ति शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना, विलम्ब से भुगतान किया जाना इत्यादि के लिए उत्पाद प्रपत्र सं0 132 में एक पंजी का संधारण किया जाये।

- हमने पाया कि अनुज्ञाप्ति शुल्क के भुगतान में विलम्ब को देखने के लिए किसी भी नमूना जाँचित उत्पाद कार्यालय ने इस पंजी को संधारित नहीं किया। हमने पुनः देखा कि वर्ष 2008–09 के दौरान 10^{15} जिलों में 244 अनुज्ञाप्तिधारियों ने ₹ 6.18 करोड़ मासिक अनुज्ञाप्ति शुल्क, 20 दिनों के अधिदिवस के बाद भी तीन से 140 दिनों के विलम्ब से जमा किया। दोषी अनुज्ञाप्तिधारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बिहार उत्पाद अधिनियम/नियमावली में अनुज्ञाप्ति शुल्क विलम्ब से जमा किये जाने पर ब्याज आरोपित करने का प्रावधान नहीं है।

3.6.11.1 सहायक आयुक्त उत्पाद, भोजपुर के अभिलेखों की समीक्षा के क्रम में हमने पाया कि वर्ष 2007–08 (1 जुलाई 2007 से 31 मार्च 2008) के दौरान दुकानों की बंदोबस्ती के उपरांत सात अनुज्ञाप्तिधारियों ने अग्रिम अनुज्ञाप्ति शुल्क ₹ 7.51 लाख जमा नहीं किया था। अग्रिम अनुज्ञाप्ति शुल्क जमा किये बगैर अनुज्ञाप्ति निर्गत किया जाना अनियमित था। अनुज्ञाप्तिधारियों के निरस्तीकरण, जमानत राशि जब्त किया जाना अथवा बकाये की वसूली के लिए सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा दोषी अनुज्ञाप्तिधारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई

¹⁵ औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण।

- हमने सहायक आयुक्त उत्पाद, भोजपुर के अभिलेखों से पाया कि वर्ष 2007–08 (1 जुलाई 2007 से 31 मार्च 2008) के दौरान 13 अनुज्ञापिताधियों ने ₹ 27.47 लाख अनुज्ञापित शुल्क जमा नहीं किया। पाँच मामलों में उत्पाद वर्ष के अंत में अनुज्ञापिताधियों निरस्त कर दी गई थी, छः मामलों में चूक के तीन से चार माह के उपरांत अनुज्ञापिताधियों निरस्त की गई और दो मामलों में बिक्री अधिसूचना के शर्तों के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। क्षेत्र अधिकारियों द्वारा विभागीय नियमों का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप बकाये का संचयन हुआ, जो अनुपालन मुद्राओं पर नियंत्रण की कमी दर्शाता है।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2010) कि सभी जिला उत्पाद अधिकारियों से प्रतिवेदन की मांग की गई है और यदि आवश्यक हुआ तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

3.6.12 राजस्व के बकाये की वसूली

बिहार उत्पाद अधिनियम यह प्रावधित करता है कि बकाए उस व्यक्ति से वसूल की जा सकती है जो प्राथमिक तौर पर उसका भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है अथवा उसके सुरक्षित जमा से (यदि कोई हो), कुर्की एवं उसके चल संपत्ति की बिक्री द्वारा अथवा राजस्व के बकाए की वसूली के लिए विहित प्रक्रिया द्वारा करनी है।

लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 3(6) के अधीन अनुसूची-I के अनुसार सरकार को देय राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है। चूक के मामले में इसकी वसूली माँग के बकाए की तरह की जानी है और तदनुरूप देय राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था एवं बकाया घोषित कर दिया गया था, को लोक माँग वसूली अधिनियम की धारा 4 की शर्तों के अनुसार माँग पदाधिकारी द्वारा नीलामवाद पदाधिकारी के पास नीलामवाद दायर कर वसूली करनी है। लोक माँग वसूली अधिनियम के अंतर्गत राजस्व पर्षद के निदेशानुसार माँग पदाधिकारी और नीलामवाद पदाधिकारी, नीलामवाद मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार हैं।

करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विभाग के पास लम्बित बकाये राजस्व के समेकित औँकड़ा का समयवार/वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं था। हमने नौ नमूना जाँचित जिला उत्पाद कार्यालयों में पाया कि बकाए के अधिकतर मामले काफी लम्बी अवधि से लम्बित थे, जैसाकि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

3.6.12.1 बिहार उत्पाद अधिनियम में बकाये की वसूली की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं किया गया है।

हमने पाया कि 31 मार्च 2009 तक कुल बकाया राशि ₹ 30.41 करोड़¹⁶ (जैसाकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया) में से केवल ₹ 24.89 करोड़ ही नीलामवाद कार्यवाही के अंतर्गत शामिल था।

हमने 13 चयनित उत्पाद जिलों में पाया कि वर्ष 1970–71 से 2008–09 की अवधि से संबंधित कुल बकाया राशि ₹ 11.22 करोड़ में से केवल ₹ 5.91 करोड़ ही नीलामवाद कार्यवाही के अंतर्गत शामिल था। शेष मामलों में नीलामवाद कार्यवाही प्रारम्भ

¹⁶ बँका, कैमुर, लखीसराय तथा मुग्रेर को छोड़कर।

क्र० सं०	जिला	(₹ लाख में)						
		20 वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	15 वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	10 वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	5 वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	5 वर्षों तक पुराना बकाया राशि	कुल बकाया राशि	
1	सारण	2.80	54.05	22.35	18.86	1.67	99.74	
2	पश्चिमी चम्पारण	0.12	3.29	14.08	46.64	5.42	69.55	
3	नालन्दा	7.41	4.41	5.75	0.65	0.02	18.25	
4	मुजफ्फरपुर	-	18.53	15.68	15.07	24.20	73.49	
5	पटना	40.89	71.23	158.50	55.45	0.43	326.49	
6	गोपालगंज	0.72	2.45	9.09	2.90	16.65	31.81	
7	भागलपुर	-	0.28	0.28	3.01	-	3.57	
8	पूर्वी चम्पारण	23.90	25.74	25.07	17.81	1.51	94.03	
9	भोजपुर	0.65	16.95	30.78	11.47	25.76	85.61	
	कुल	76.49	196.93	281.58	171.86	75.66	802.54	

यद्यपि लोक माँग वसूली अधिनियम के अनुसार माँग पदाधिकारी और नीलामवाद पदाधिकारी, नीलामवाद मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार हैं, लेकिन हमने पाया कि संबंधित सहायक उत्पाद आयुक्तों/उत्पाद अधीक्षकों द्वारा नीलामवाद मामलों के निष्पादन के लिए प्रभावकारी प्रयास नहीं किया गया। बकाये की वसूली नहीं होने से सरकारी राजस्व अवरुद्ध रहा।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2010) कि सभी जिला उत्पाद कार्यालयों से प्रतिवेदन माँगी गई है और यदि आवश्यक हुआ तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

3.6.12.2 नीलामवाद मामले दायर करने में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि

लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अनुसार लोक माँग, जिससे नीलामवाद संबंधित है, पर ब्याज 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से नीलामवाद हस्ताक्षर करने की तिथि से वसूली की तिथि तक लगाया जाना है। नीलामवाद मामले दर्ज करने में किसी विलम्ब का प्रतिफल ब्याज के रूप में राजस्व की हानि होगी।

हमने 12¹⁷ उत्पाद जिलों में पाया कि वर्ष 1976–77 से 2004–05 से संबंधी बकाया माँग की राशि ₹ 4.12 करोड़ थी। इसके विरुद्ध विभाग ने नीलामवाद मामले एक से 23 वर्षों के विलम्ब से दायर किया था। इस

प्रकार, नीलामवाद की कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण ब्याज के रूप में ₹ 3.14 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

विभाग बकाये राजस्व पर नीलामवाद दायर करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकती है।

¹⁷ औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, सारण, सीवान एवं पश्चिमी चम्पारण।

3.6.13 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

3.6.13.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अतिमहत्वपूर्ण साधन है, जो वर्तमान प्रणाली की कार्यदक्षता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। यह स्वतंत्र रूप से विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा भी करता है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, जिसमें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग भी शामिल है, के लिए वित्त विभाग का लेखापरीक्षा स्कंध आन्तरिक लेखापरीक्षक के रूप में

कार्य करता है। विभागों का आंतरिक लेखापरीक्षा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जा रहा था। हालाँकि, हमने पाया कि वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि में नमूना जाँचित कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि विभाग को प्रणाली के दोषपूर्ण क्रियाकलापों के क्षेत्रों को पता लगाने का कोई उपाय नहीं रहा तथा समय पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर सका।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2010) कि विभाग के अभिलेखों तथा लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए वित्त विभाग से अनुरोध किया जाएगा।

सरकार विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित अवधि पर कराना सुनिश्चित कर सकती है ताकि अनियमितताएँ/चूक का समय पर पता लगाया जा सके तथा इसका निवारण किया जा सके।

3.6.13.2 विभागीय निरीक्षण

विहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद कार्यालयों का निरीक्षण उपायुक्त उत्पाद द्वारा वर्ष में एक बार तथा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा वर्ष में दो बार किया जाना है।

वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि में 13 नमूना जाँचित जिला उत्पाद कार्यालयों में निरीक्षण की स्थिति निम्नवत है:

निरीक्षण पदाधिकारी	किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या	किये गये निरीक्षणों की संख्या	कमी
उपायुक्त, उत्पाद	65	3	62
सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद	130	5	125

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नमूना जाँचित जिलों में उपायुक्त उत्पाद द्वारा वांछित निरीक्षणों का केवल पाँच प्रतिशत एवं सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा चार प्रतिशत निरीक्षण किया गया।

पुनः यह देखा गया कि चयनित जिला उत्पाद कार्यालयों के पास कोई ऑकड़ा नहीं था, जिससे पता चले कि वैसे इलाके, जिसमें प्राधिकृत दुकानें नहीं थी, में अवैध शराब की आपूर्ति रोकने के लिए उत्पाद कर्मियों द्वारा पर्याप्त निरीक्षण/छापामारी की गई।

इस प्रकार, निरीक्षणों की नगण्य संख्या के कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमज़ोर रहा। इसके परिणामस्वरूप, उच्च प्राधिकारी सूचनाओं तथा विभागीय नियमों एवं आदेशों का अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने के विषय में समय पर जानकारी से वंचित रहे।

सरकार ने वांछित निरीक्षण कराने का आश्वासन (अक्टूबर 2010) दिया।

3.6.13.3 पंजियों का संधारण

बिहार उत्पाद अधिनियम, समय पर उत्पाद राजस्व की वसूली पर प्रभावकारी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रपत्रों एवं पंजियों का संधारण प्रावधित करती है।

नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा था:

- **चालान पंजी (उत्पाद प्रपत्र सं0–106)**

जिला उत्पाद कार्यालय के सभी चालान पंजियों के सार में एकरूपता बनाना सुनिश्चित करने के लिए, एक अलग खंड उत्पाद प्रपत्र सं0–106 में 'सार चालान पंजी' का संधारण करना था।

हमने पाया कि यह सार चालान पंजी आठ¹⁸ उत्पाद जिलों में वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि में तथा भागलपुर में वर्ष 2008–09 में संधारित नहीं था। पुनः वर्ष 2004–05 से 2008–09 के दौरान गया तथा भागलपुर में इसे सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। सार चालान पंजी के संधारण नहीं किये जाने के कारण विभागीय अधिकारियों को कोषागार में जमा किये गये वास्तविक राजस्व की गणना करने में कठिनाई हुई।

- **उत्पाद विक्रेताओं के कदाचार की पंजी (उत्पाद प्रपत्र सं0–73)**

कदाचार के लिए उत्पाद विक्रेताओं को दण्ड दिये जाने के आदेश, इस पंजी में अंकित किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि इस पंजी का संधारण औरंगाबाद में वर्ष 2004–05 से 2007–08, गोपालगंज तथा पूर्वी चम्पारण में वर्ष 2004–05 से 2008–09, भोजपुर में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तथा भागलपुर में वर्ष 2008–09 के लिए नहीं किया गया था। इस प्रकार, कदाचार हेतु आरोपित जुर्माना एवं अर्थदण्ड को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- **मांग, संग्रहण इत्यादि का ज्ञापण पंजी (उत्पाद प्रपत्र सं0–67)**

अनुज्ञाप्ति फीस एवं शुल्क के मांग, संग्रहण तथा शेष का एक ज्ञापण प्रत्येक माह के अंत में तैयार किया जाना चाहिए था।

हमने पाया कि पंजी का संधारण पूर्वी चम्पारण में वर्ष 2008–09 के लिए नहीं किया गया था। नौ¹⁹ उत्पाद जिलों में पंजियों को वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि में बंद नहीं किया गया था। इसे सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा गया में जाँचा नहीं गया था। इस प्रकार इन जिला उत्पाद कार्यालयों में मांग, संग्रहण तथा शेष सुलभता से उपलब्ध नहीं थे।

- **बकाया पंजी**

बकाया पंजी में बकाया की राशि, अनुज्ञाप्तिधारी का नाम जिसके विरुद्ध बकाया है और इससे संबंधित अवधि का उल्लेख रहता है।

¹⁸ औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, सारण एवं सीवान।

¹⁹ औरंगाबाद, भोजपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, सारण, सीवान एवं पश्चिमी चम्पारण।

हमने पाया कि सारण, पश्चिमी चम्पारण, भोजपुर तथा गया में वर्ष 2004–05 से 2008–09, गोपालगंज में वर्ष 2007–08 से 2008–09 तथा सीवान में वर्ष 2005–06 से 2008–09 के दौरान बकाया पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन जिला उत्पाद कार्यालयों में बकायों का विवरण उपलब्ध नहीं था।

• नीलामवाद पंजी

नीलामवाद पंजी में अनुज्ञितिधारियों, जिनके विरुद्ध नीलामवाद दायर किया गया था, बकाया की अवधि, केस संख्या, नीलामवाद दायर करने की तिथि तथा नीलामवाद की राशि का उल्लेख रहता है।

चैंकि यह पंजी गया, भोजपुर तथा सारण में सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा अधिप्रमाणित नहीं था, इसलिए पंजी की प्रविष्टियाँ विश्वसनीय नहीं थीं।

• पंजी 89

यह पंजी आवंटित मात्रा के विरुद्ध माहवार परमिट निर्गत किये जाने को दर्शाता है।

हमने पाया कि पाँच²⁰ उत्पाद जिलों में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान इस पंजी का संधारण नहीं किया गया था। नालन्दा में वार्षिक मात्रा का उल्लेख नहीं था तथा अधीक्षक उत्पाद द्वारा सत्यापित नहीं था। सारण में कुछ मामलों में अनुज्ञितिधारियों के नाम का उल्लेख नहीं था। परिणामस्वरूप, शाराब के जिस मात्रा के लिए परमिट निर्गत किया गया था, वह सुलभता से उपलब्ध नहीं था।

• उत्पाद बिक्रेताओं के जमानत राशि की पंजी (उत्पाद प्रपत्र सं0–103 क)

जमानत पंजी में अनुज्ञितिधारियों से जमानत के रूप में ली गई नगद राशि, डिमान्ड ड्राफ्ट, आवधिक जमा, बैंक गारंटी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र इत्यादि की प्रविष्टि की जाती है।

हमने पाया कि कार्यालय, अधीक्षक उत्पाद मुजफ्फरपुर (वर्ष 2004–05 से 2008–09) तथा अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद (वर्ष 2005–06 से 2006–07) में जमानत पंजी का संधारण नहीं किया गया था। पुनः अधीक्षक उत्पाद, नालंदा ने इसे विहित प्रपत्र में संधारित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, जमानत राशि तथा इसके वापसी की स्थिति की विवरणी सुलभता से उपलब्ध नहीं था।

इन पंजियों के अभाव में, नियमों के अंतर्गत निर्धारित जाँच तथा आँकड़ों की शुद्धता की जाँच हम नहीं कर सके।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2010) कि अधीनस्थ अधिकारियों को निर्धारित पंजी एवं अभिलेख सावधानीपूर्वक संधारित करने का निर्देश निर्गत किया जाएगा।

3.6.14 निष्कर्ष

राज्य उत्पाद राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण की समीक्षा से बजट अनुमान के निर्धारण में त्रुटियाँ प्रकटित हुई। सरकार का अबंदोबस्त दुकानों के संचालन पर नियंत्रण नहीं था, जिसके फलस्वरूप राजस्व की हानि हुई। शाराब के दुकानवार उठाव के आवधिक समीक्षा की कार्यप्रणाली के अभाव में उत्पाद राजस्व का रिसाव हुआ और दण्ड की वसूली नहीं हुई। राजस्व बकाया मामलों को नीलामवाद अधिकारी के पास भेजने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं थी, जिसके फलस्वरूप काफी राजस्व बकाया जमा हो गया, जिसके विरुद्ध नीलामवाद दायर नहीं किया गया था। आंतरिक

²⁰ भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पश्चिमी चम्पारण।

लेखापरीक्षा रक्षण द्वारा निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण विभाग अपने कार्यों में कमियों एवं त्रुटियों का पता नहीं लगा सका।

3.6.15 अनुशंसाओं का सार

सरकार को:

- बजट अनुमान तैयार करने में बजट संहिता के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए;
- अबंदोबरत उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्रभावकारी कार्यप्रणाली का विकास करना चाहिए;
- न्यूनतम गारंटी मात्रा के विरुद्ध दुकानवार शराब के उठाव से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु तंत्र तथा शराब के कम उठाव के मामले में नियम के अनुरूप समय पर कार्रवाई करने के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विकास करना चाहिए;
- राजस्व के समय पर संग्रहण पर प्रभावकारी नियंत्रण सुनिश्चित करना, साथ ही साथ अनुज्ञाप्ति शुल्क विलम्ब से जमा किये जाने पर ब्याज का आरोपण सुनिश्चित करने हेतु प्रावधानों को समाहित करना चाहिए तथा
- नियमित अंतराल पर विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।